



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

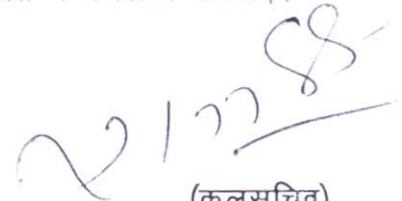
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602
क्रमांक : 008/2015-16/00/132/ 319
दिनांक : 08.09.2016

अपील

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार मितव्ययिता के साथ-साथ आंतरिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक : 008/2014-15/EXAM-10-3/45 दिनांक 27.10.2015, परिपत्र क्रमांक : 008/2015-16/00/132/161 दिनांक 10.11.2015 एवं परिपत्र क्रमांक : 008/2015-16/00/132/317 दिनांक 11.02.2016 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनके आलोक में यद्यपि कुछ विभागों द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई गई है किंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों में अभी भी बहुत-सी सामग्री ऐसी है जो अन्य कर्मियों/विभागों के लिए उपयोगी हो सकती है।

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/विभाग प्रमुख/परियोजना समन्वयक से पुनः विनम्र अनुरोध है कि वे अपने विभाग/केंद्र में उपयोगकर्ता (कर्मियों तथा विद्यार्थियों) की संख्या एवं सामग्री की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंच, डेस्क, कुर्सी, मेज, कम्प्यूटर इत्यादि समस्त ऐसी सामग्री चिह्नित करें जो अन्य के लिए उपलब्ध करवाना सम्भव हो तथा इसे दिनांक 16.09.2016 (शुक्रवार) तक भंडार एवं क्रय विभाग को लिखित में उपलब्ध करवाएं।


(कुलसचिव)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

01. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/विभाग प्रमुख/परियोजना समन्वयक
02. समस्त सूचना पट्ट
03. जनसंपर्क अधिकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि संज्ञानार्थ (ई-मेल द्वारा) :-

01. कुलपति, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा
02. प्रति-कुलपति, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा
03. कुलसचिव, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा
04. वित्ताधिकारी, म.गां.अ.हिं.वि., वर्धा